US-93
04-01-2022

अत्यंत महत्वपूर्ण / विधानसभा
विशेष पत्र वाहक / ई-मेल द्वारा

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉं तल, सी – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ.53(11) / अता. / ता प्र.सं. 93 / द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग–2022 / दिविस / श.वि. / 1312-14 दिनांकः 01-01-22

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः–दिल्ली सातवीं विधानसभा के द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग तारांकित /अतारांकित प्र. स. 93 मान्नीय विधायक श्री पवन शर्मा दिनांक 04.01.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में ।

महोदया / महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ, मान्नीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रित कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मान्नीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वां तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित ।

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

Scanned by TapScanner

शहरी विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार

<u>9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली</u>

विधायक का नाम : श्री पवन शर्मा

दिनांक : 04.01.2022

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 93

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि धीर पुर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत धीरपुर में 25.38 हैक्टेयर भूमि पर वॉटर लैंड पार्क का निर्माण/पुनरूद्धार कार्य डीडीए एवं सेंटर फॉर अर्बन इकोलॉजी एंड संस्टेनेबिलिटी के संयुक्त प्रयास से होना था;	**दिल्ली विकास प्राधिकरण** दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफ.5 (3)/मिस./2015/पी एंड सी/ वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018, को सूचित किया है कि– दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है)
ख	यदि हां, तो इस प्रोजेक्ट को कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, पूर्ण विवरण दें;	
ग	अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन योजना(अमृत) के अन्तर्गत जल नेटवर्क तक घरों की पहुंच बढ़ाने के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की विधान सभा वाइज स्थिति क्या है;	अटल मिशन फॉर रेजुवेनशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) के अंतर्गत अब तक 27 परियोजाएं स्वीकृत हुई है जिसमे से 10 परियोजनाएं घरो तक जल नेटवर्क की पहुंच बढ़ाने के लिए स्वीकृतकी गई है, इन 10 परियोजनों की विधान सभा वाइज स्थिति इस प्रकार है:-

क्रम सं	परियोजना का नाम	विधानसभा क्षेत्र	परियोजना की भौतिक प्रगति (%)
1	Replacement of old 900 mm dia PSC duplicate main from Majnoo ka Teela (Pontoon Pul) to Rajghat, old Fort to GK UGR and 800 mm dia Okhla main from Barapullah nallah to Okhla WTP.	AC- 54 (ओखला)	93%
2	P/L/J water supply distribution network in B to G Block Sonia Vihar Karawal Nagar.	AC- 70 (करावल नगर)	100%
3	P/L/J water supply distribution network in village Sabhapur Extended Abadi under, Karawal Nagar.	AC- 70 (करावल नगर)	100%
4	P/L/J water supply distribution network in Shri Ram Colony,. Rajiv Nagar under Karawal Ngar.	AC- 70 (करावल नगर)	100%
5	P/L/J feeder and peripheral water mains in the command of 26.80 ML UGR/BPS, Sonia Vihar	AC- 70 (करावल नगर)	100%
6	Construction of 5.90 MG (26.80 ML)	AC- 70	100%

			UGR/BPS at Sonia Vihar.	(करावल नगर)	
		7	P/L/J Feeder main for 8.17 MG capacity MBR at Palla emanating from Ranney wells and Tube wells.	AC- 01 (नरेला)	100%
		8	Rejuvenation of Shahadra Jheel.	AC- 64 (जितेंद्र महाजन)	83%
		9	Construction of 37.10 ML (8.17 MG) capacity MBR and BPS at Palla	AC- 01 (नरेला)	31%
		10	Providing and fixing of AMR Meter	New Delhi Municipal Council's area (NDMC area)	0%
घ	कार्यादेश में उल्लिखित समय सीमा के अंदर कितने प्रतिशत परियोजनाएं पूर्ण हुई; और	उपरोक्त 10 परियोजनों में से 6 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है परन्तु इन 6 पूर्ण परियोजनाओं में से कोई भी अपने कार्यदेश में उल्लेखित समय सीमा के अंदर नहीं हुए।			
ड	उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में भी काई परियोजना चल रही है, यदि हां, तो उक्त परियोजना की स्थिति क्या है?	जी नहीं ।			

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

11/c

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक–बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023

75

सं. एफ.5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/डीपएस/769 दिनांक : 2 अगस्त, 2018

Main letter in English Language was already been sent by Hon Min O.D.

May place in the concern file.

10/8/18

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

DS-PC

विषय : छठी दिल्ली विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक 07/06/2018 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09/07/2018 के आपने पत्र सं. एफ 53 (यू.एस.क्यू.)/बजट सेशन–सैकंड–जून–2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी 7175 7176 का अवलोकन करें, जिसकी संदर्भ सं. एफ.यू.एस.क्यू./बजट सेशन II जून 2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी–6983–43(यू.एस.क्यू.–80), 6925 34 (क्यू.एस.क्यू. 78), 6977 80(यू.एस.क्यू. 89) तथा 6901 6904 (यू.एस.क्यू. 70) दिनांक 29/05/2018 तथा अनुपूरक फर्द डी 7066 से 7068 दिनांक 13/06/2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए ए (3) (क) के अनुसार विधानसभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अत: आरक्षित विषयों अर्थात् प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि.प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव